राजीव नारायण रैना से पहले, जे.

विजय पाल और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2014 का सीडब्ल्यूपी No.15207

17 जनवरी, 2017

क. भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद।**226** और **227**-भारतीय दंड संहिता-एस. एस. **395, 397, 398, 120**-बी-शस्त्र अधिनियम-धारा **27**-पंजाब पुलिस नियम, **1934** (हरियाणा पर लागू)-आर. एल. एस **16.24** और **16.32**-मुकदमे में बरी-बहाल-पूर्व पुलिसकर्मी-डकैती के मुकदमे में बरी-परिणामी लाभों के साथ बहाल।

इसके अलावा, सह-अभियुक्तों में से एक, अशोक कुमार श्योराण एच. पी. एस. को 6 जुलाई, 2016 को सेवा में बहाल कर दिया गया है।उच्च और शक्तिशाली लोगों को प्रशासन द्वारा सेवा में बहाली प्राप्त करने का पक्ष मिला है, जबकि न्याय के लिए अदालत के समक्ष अधीनस्थ हैं।जो कभी बहुत गंभीर आरोप था, वह दोषी नहीं होने के फैसले में बदल गया है।पुलिस आपराधिक मुकदमे में जो हासिल नहीं कर सकी, उसे उसी साक्ष्य, उसी घटना और आरोप पर घरेलू जांच में हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 21)

आगे कहा कि संभावनाओं की प्रधानता को संतुलित करने पर भी, विवादित आदेश टिकाऊ नहीं हैं।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना न्यायाधीश का उपहास होगा।इसका मतलब यह होगा कि दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है।एक न्यायिक फैसला, वास्तव में पुलिस के हाथों में रखे गए कीबोर्ड पर सी. टी. आर. एल. ऑल्ट डेल को पीड़ित करता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?इसके बजाय, अभियोजकों को दंडित किया जाना चाहिए।जब पुलिस पुलिस के सामने विफल रहती है और डकैती के रूप में गंभीर आरोप को घर लाने में विफल रहती है, तो समाज की अंतरात्मा का एक हिस्सा मर जाता है। अदालत को संदेह के बजाय कानून के साथ संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो।कानून याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है।

(पैरा 22)

ख. भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **226**-संशोधन का वैकल्पिक उपाय नहीं लिया गया- पूर्ण प्रतिबंध नहीं।

हालाँकि, यह माना गया कि 16.32 के तहत एक संशोधन कार्यवाही भौतिक अनियमितता के आधार पर सीमित है और नए साक्ष्य पेश करने पर



(राजीव नारायण रैना, जे.)

अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाएगी। प्रावधान स्वयं स्पष्ट शब्दों में अधिकार क्षेत्र को दया की याचिका के रूप में बताता है।दया की याचिका निर्दोषता को नष्ट कर देती है।याचिकाकर्ता दया का दावा नहीं करते हैं।मेरा मानना है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संशोधन का उपाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग पर एक आत्यन्तिक बाधा नहीं है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए लागू किया गया है।पी. पी. आर. के नियम 16.32 में रखी गई सीमाओं को देखते हुए संशोधन का उपाय न तो तीव्र है और न ही समान रूप से प्रभावी है। इस स्तर पर इसका सहारा लेने से केवल उन याचिकाकर्ताओं की पीड़ा बढ़ेगी जिन्हें आपराधिक मुकदमे की पीड़ा सहनी पड़ी है। इसलिए, मैं एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर राज्य द्वारा उठाए गए तर्क को अस्वीकार कर दूंगा।किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुना है और इस प्रकार याचिका अब एक प्रमुख प्रारंभिक आपत्ति के रूप में उपयुक्त नहीं लगती है।न्यायाधीश गुण-दोष पर सुनवाई और निर्णय की मांग करता है, जब एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री फाइल पर उपलब्ध हो।

(पैरा 10)

संजय कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ

सज्जन सिंह मलिक, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए।

सिद्धार्थ सांवरिया, डी. ए. जी, हरियाणा।

राजीव नारायण रायना, जे।

(1) चार पूर्व पुलिसकर्मियों ने एक संयुक्त याचिका में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें सेवा से बर्खास्तगी के उनके आदेशों और पूर्ववर्ती पूछताछ, कारण बताए जाने

के नोटिस, अपील आदि को रद्द करने और उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 को पुलिस अधीक्षक, हिसार द्वारा 05 मार्च, 2013 को पारित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 4 को पुलिस अधीक्षक, सिरसा द्वारा 11 सितंबर, 2013 को पारित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था

लिस की उत्पत्ति

(2) रजत अग्रवाल नामक व्यक्ति ने 11 मार्च, 2010 को पानीपत के पुलिस स्टेशन में 7 अज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपनी दुकान से 6 लाख रुपये की डकैती का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी संख्या 261 दर्ज कराई थी।संदेह के आधार पर और किसी भी गवाह द्वारा पहचाने बिना याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पुलिस ने 15 मार्च, 2010 को प्राथमिकी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। वे मार्च 2010 से सितंबर 2011 तक 18 महीने तक हिरासत में रहे।गिरफ्तारी के कारण पुलिस अधीक्षक, हिसार उनके अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा 16 मार्च, 2010 को पारित आदेश के अनुसार सेवा से निलंबन किया गया।



17 मार्च, 2010 और 15 अप्रैल, 2010 के आदेशों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक संयुक्त विभागीय जांच का आदेश दिया गया था।याचिकाकर्ताओं पर विभागीय रूप से मुकदमा चलाया गया और साथ ही अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ आपराधिक मुकदमे के तहत रखा गया।मुकदमा 6 नवंबर, 2012 के फैसले और आदेश के माध्यम से दोषमुक्ति के साथ समाप्त हुआ।निचली अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान और अपराध साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और सबूतों पर पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों को डकैती के अपराध के कथित अपराध से जोड़ने में विफल रहा है।याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ बनाए गए सभी आरोपों यानी शस्त्र अधिनियम की खंड 27 के साथ पठित भा.दं.सं. की खंड 395,397,398 और 120-बी के तहत बरी कर दिया गया था।

(3) न तो शिकायतकर्ता रजत अग्रवाल ने पीडब्लू-3 के रूप में पेश हुए और न ही किसी कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू-4, नरेंदर गोयल और पीडब्लू-8 राजा गुप्ता और पीडब्लू-9 राजीव गुप्ता ने शपथ पर अपने बयानों में अदालत में आरोपी व्यक्तियों की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जिन्होंने अवसर दिए जाने के बावजूद अपराध किया।दूसरी ओर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अदालत में उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों में से कोई भी

आरोपित अपराध की घटना में शामिल नहीं था।ट्रायल कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने जांच के दौरान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का संचालन नहीं किया और ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार माना कि आइडेंटिफिकेशन मेमो Ex.P-C केवल जांच अधिकारी द्वारा किया गया कागजी कार्य था।

(4) बरी किए जाने के फैसले के साथ, याचिकाकर्ताओं ने विभाग का दरवाजा खटखटाया और अपने बचाव में इस पर भरोसा करते हुए एक विशिष्ट रुख अपनाया कि विभागीय जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था और इस बीच निचली अदालत ने पहले ही याचिकाकर्ताओं को रिकॉर्ड में लाए गए पूरे अभियोजन साक्ष्य पर विचार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्ति दिया था।

(5) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय कौशल का यह तर्क है कि घरेलू जांच में जांच अधिकारी द्वारा जांचे गए गवाहों के एक ही समूह की निचली अदालत के समक्ष जांच की गई थी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ न तो कोई अतिरिक्त सबूत और न ही गवाह का बयान दर्ज किया गया था।विभागीय कार्यवाही में पेश किए गए गवाहों ने ठीक वही बयान दिए जो उनके द्वारा निचली अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे।इसलिए, वर्तमान बिना किसी सबूत का मामला है। हालाँकि, जाँच अधिकारी ने फिर भी उन्हें



दोषी ठहराया। 21 जनवरी, 2013 की अंतिम जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया।

(6) विभागीय जांच पूरी होने पर, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 को 23 जनवरी, 2013 को कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए थे और प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 4 को 21 अगस्त, 2013 को इसी तरह का कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्हें पुलिस विभाग की सेवा से क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए।याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित समय के भीतर इन कारण बताए जाने के नोटिसों का विस्तृत जवाब दाखिल किया।उनके जवाबों पर विचार किया गया और उन सभी को सेवा से बर्खास्त करने के विवादित आदेश पारित किए गए।

(7) बर्खास्तगी के आदेशों से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च, 2013 को पुलिस महानिरीक्षक, हिसार रेंज से आदेशों को रद्द करने की अपील की, लेकिन बर्खास्तगी की

पुष्टि करते हुए 30 दिसंबर, 2013 को अपील खारिज कर दी गई।जबकि अपील अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित थी, पुलिस विभाग ने सी. आर.एल. विविध संख्या A-90MA/2013 दायर किया। बरी किए जाने के विरुद्ध हरियाणा राज्य बनाम अशोक श्योराण और अन्य शीर्षक वाले मामले में 2013 को इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 22 अप्रैल, 2013 के एक विस्तृत आदेश द्वारा दोषमुक्ति दिया गया था, जिसमें बरी किए जाने के निर्णय को बरकरार रखा गया था।फैसला अनुलग्नक पी-14 रिकॉर्ड पर रखा गया है।खण्ड पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की सही तरीके से जांच की।न्यायालय द्वारा साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने में कोई विफलता नहीं थी और इसलिए, दोषमुक्ति के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।हालाँकि अपील में पारित उच्च न्यायालय के फैसले में यह देखा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने प्रतिवादियों/अभियुक्तों को "संदेह का लाभ दिया" लेकिन इस अदालत के फैसले को पढ़ने से यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया।दोषमुक्ति जाना पूरी तरह से सम्मानजनक था और इसलिए याचिकाकर्ताओं पर सेवा कानून या आपराधिक कानून के दृष्टिकोण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

(8) याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा एच. पी. एस. अशोक कुमार श्योराण को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा से तत्काल प्रभाव से बहाल करने के हरियाणा के राज्यपाल के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए 6 जुलाई, 2016 को पारित पत्र को रिकॉर्ड में रखने की अनुमति के लिए 2016 का सी. एम. संख्या 11188 दायर किया है। अशोक कुमार श्योराण सेशन केस संख्या में इसी घटना में सह आरोपी पुलिस अधिकारियों में से एक थे। राज्य बनाम अशोक श्योराण और नौ अन्य आरोपियों के मामले में 19 अगस्त 2010 को 2012 का 6 मामला दर्ज किया गया।



याचिकाकर्ता मुकदमे की कार्यवाही में आरोपी 2,5,7 और 6 थे ।याचिकाकर्ता श्योराण के समान व्यवहार का दावा करते हैं।मुकदमे और दाण्डिक अपीलीय को खारिज करने का परिणाम स्पष्ट रूप से यह है कि याचिकाकर्ताओं पर पुलिस द्वारा ही एक झूठा मामला थोपा गया था, जिस विभाग में याचिकाकर्ताओं ने काम किया था।

(9) नोटिस मिलने पर, प्रतिवादी-विभाग ने मामले को लड़ने के लिए अपना लिखित बयान दिया है।घटनाओं से संबंधित तथ्यों को लंबे समय तक दोहराया गया है, जो विभागीय जांच में लगाए गए आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमे में याचिकाकर्ताओं को

सम्मानजनक रूप से दोषमुक्तिने के मद्देनजर इस न्यायालय को अब और हिरासत में नहीं रखना चाहिए।स्टॉक डिफेंस का कहना है कि विभागीय जांच पंजाब पुलिस नियम, 1934 (पी. पी. आर.) के नियम 16.24 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की गई थी जो हरियाणा में लागू होते हैं।विभागीय जांच करने और बर्खास्तगी के परिणामी आदेश पारित करने में कोई कानूनी दुर्बलता या विसंगति नहीं है जो याचिकाकर्ताओं के कदाचार के कार्य के साथ उचित, उचित और अनुरूप हैं।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की गई है और संभावनाओं की प्रधानता पर घरेलू आरोप साबित हो गया है जिसके लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के दंड के साथ दंडित किया गया था।राज्य का आक्षेप है कि अपील में पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध वैधानिक उपायों के समाप्त न होने के कारण याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।पी. पी. आर. के नियम 16.32 के तहत राज्य सरकार के पास एक संशोधन है।

(10) हालाँकि, 16.32 के तहत एक संशोधन कार्यवाही में भौतिक अनियमितता के आधार पर या नए साक्ष्य के उत्पादन पर सीमित है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाएगी।प्रावधान स्वयं स्पष्ट शब्दों में अधिकार क्षेत्र को दया की याचिका के रूप में बताता है।दया की याचिका निर्दोषता को नष्ट कर देती है।याचिकाकर्ता दया का दावा नहीं करते हैं।मेरा मानना है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संशोधन का उपाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग पर एक आत्यन्तिक बाधा नहीं है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए लागू किया गया है।पी. पी. आर. के नियम 16.32 में रखी गई सीमाओं को देखते हुए संशोधन का उपाय न तो तीव्र है और न ही समान रूप से प्रभावी है। इस स्तर पर इसका सहारा लेने से केवल उन याचिकाकर्ताओं की पीड़ा बढ़ेगी जिन्हें आपराधिक मुकदमे की पीड़ा सहनी पड़ी है।इसलिए, मैं एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर राज्य द्वारा उठाए गए तर्क को अस्वीकार कर दूंगा।किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने याचिका पर विचार किया है और इस प्रकार याचिका अब एक प्रमुख प्रारंभिक आपत्ति के रूप में उपयुक्त नहीं लगती है।



न्याय गुण-दोष पर सुनवाई और निर्णय की मांग करता है, जब एक न्याय संगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री फाइल पर उपलब्ध हो।

(11) इसके अलावा, राज्य इन विवादित आदेशों के बचाव में तर्क देता है कि याचिकाकर्ता एक अनुशासित बल के सदस्य होने के नाते देश के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की

रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने के बजाय नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में लिप्त थे।इस तरह याचिकाकर्ताओं ने न केवल हरियाणा पुलिस की छवि को धूमिल किया है, बल्कि पूरे पुलिस बल में जनता के विश्वास को भी बुरी तरह से हिला दिया है, जिसे उनका रक्षक माना जाता है।उन्होंने ऐसे तरीके से काम किया था जो पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत ही अनुचित था।गंभीर दुराचार के ऐसे कृत्य किए जाने के बाद यदि याचिकाकर्ताओं को पुलिस बल में बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह जनहित के लिए हानिकारक होगा।गार्ड कानून तोड़ने वाले नहीं बन सकते हैं और हिंसक सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकते हैं और दूसरों को अपराध करने के लिए उकसा सकते हैं और इसलिए, बर्खास्तगी को सही ठहराने के लिए राज्य की सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के हित में तीव्र और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गई।आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों के एक ही समूह पर विभागीय जांच करने पर कोई रोक नहीं है।याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे का संदर्भ दिया जाता है जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निषेधात्मक स्थायी निषेधाज्ञा और आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों के समान ही विभागीय जांच पर अंतरिम रोक मुकदमा अनुरोध किया जाता है। करनाल के सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) ने 25 जनवरी, 2011 के आदेश के माध्यम से निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था और आदेश के खिलाफ अपील को निचली अपीलीय अदालत ने 4 मई, 2011 को अंतर्वर्ती स्तर पर खारिज कर दिया था और मुख्य मामले को ही 4 जून, 2012 को खारिज कर दिया गया था।

(12) मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सज्जन सिंह मलिक की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय कौशल और राज्य के लिए श्री सिद्धार्थ सांवरिया, डी. ए. जी., हरियाणा को रिट फाइल पर रिकॉर्ड की मदद से काफी विस्तार से सुना गया ।

(13) इससे पहले कि मैं किसी ऐसे मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों पर आगे बढ़ूं, जहां आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्यवाही एक ही आरोप पर आधारित हैं और निचली अदालत जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए गए समान साक्ष्य पर आरोपी को बरी कर देती है, तो निचली अदालत का फैसला प्रमुखता लेता है और जांच की कार्यवाही समाप्त हो जाती है।इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आरोप पत्र को पढ़ना आवश्यक होगा और इसलिए, इसे विस्तार से पुनः प्रस्तुत किया गया हैः



"मैं, दलबीर सिंह, एच. पी. एस., पुलिस उपाधीक्षक, हांसी, इन आरोपों पर एतद्द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करता हूं कि आप (एस. आई. विजय पाल No.390/HSR, ई./एच.

सी. महिंदर सिंह No.1132, सिपाही धरमबीर No.517/SRS, सिपाही विनोद कुमार No.858/HSR, एच. सी. जगबीर सिंह No.583/RTK, एच. सी. राज कुमार No.477/RTK और सिपाही ईश्वर सिंह No.103/FTB) एस. टी. एफ. में 11.03.2010 पर तैनात थे, अरविंद कुमार के पुत्र रजत अग्रवाल निवासी एच. 27. जगन्नाथ विहार कॉलोनी, पानीपत ने ई./एस. आई. वजीर सिंह को एक आवेदन प्रस्तुत किया जो कल एस. डी. चौक, पानीपत में गश्त करने के लिए उपस्थित थे। वह अपने मित्र नरेदर गोयल के साथ श्री राम चौक स्थित अपने कार्यालय में मौजूद थे, लगभग 3.35/4 बजे अपराह्न सात व्यक्ति जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे, उनके कार्यालय में घुस आए। उनमें से पाँच उसके कार्यालय में बैठे और उन्हें बताया कि वे अपराध शाखा से हैं और पुलिस अधीक्षक सीढ़ियों से नीचे खड़े थे ।उन्होंने उसे दस लाख रुपये की व्यवस्था करने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके पास इतनी बड़ी राशि नहीं है।उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों से पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहा।उसने अपने चाचा मुकेश कुमार को फोन किया और अपने नौकर द्वारा अपने कार्यालय में पैसे भेजने के लिए कहा।उसने अपनी पत्नी रुचि अग्रवाल को भी फोन किया और घर में जो भी पैसा उपलब्ध हो उसे नौकर को देने के लिए कहा।नौकर उसके घर से रुपये. 4,30,000 और उसके चाचा की दुकान से Rs.70,000/- ले आया।इसके बाद उसने अपने बहनोई राजा गुप्ता को फोन किया और उनसे Rs.50,000/- की व्यवस्था करने के लिए कहा।हमलावरों में से एक ने उसे अपने बहनोई से और पैसे की मांग करने के लिए कहा।उन्होंने फिर से राजा गुप्ता को फोन किया और उनसे रु100000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा।दस मिनट के बाद, रु100000 रुपये की राशि उसे अपने बहनोई से मिली।इसके बाद सभी हमलावर उससे नकदी में 6 लाख रुपये की राशि ले गए और चले गए।घटनास्थल से निकलते समय, उन्होंने उसे अपने पीछे न जाने या नीचे जाने के लिए कहा।हमलावर श्री राम चौक के पास खड़ी सफेद रंग की एक बोलेरो जीप पर सवार थे।इस प्रकार उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रार्थना की।जिस पर भा.दं.सं. की धारा 395 पुलिस थाना सिटी पानीपत के तहत 10.03.2013 दिनांकित प्राथमिकी आर. No.261 दर्ज की गई।जाँच के दौरान भा.दं.सं. की धारा 397 और शस्त्र अधिनियम को जोड़ा गया।

जाँच के दौरान, ऐसी ही घटना मल्होत्रा ज्वैलर्स के मालिक वी. के. मल्होत्रा की दुकान में हुई थी।

वी. के. मल्होत्रा से हमलावरोंद्वारा रु दस लाख की मांग की गई थी।।यह सहमति बनी कि हमलावरों को एक लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।हमलावर दल का एक सदस्य पैसे लेने के लिए निर्धारित समय पर उसकी दुकान पर आएगा।जब हमलावरों में से एक वी. के. मल्होत्रा की दुकान पर पैसे लेने आया, तो उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।जांच अधिकारी ने अलग-अलग वसूली ज्ञापन के माध्यम से तस्वीर और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया।यह तस्वीर अखबार में छपी थी।इसकी पहचान एच. सी. जगबीर सिंह No.583 के रूप में की गई थी जो एस. टी. एफ., हिसार/रोहतक में तैनात थे।मामले की जांच/तथ्यों के आधार पर भा.दं.सं. सी. की धारा 398 जोड़ी गई थी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों को फाइल पर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 15.03.2010 पर गिरफ्तार किया गया था।उपरोक्त व्यक्तियों के कब्जे से छह पिस्तौल और 59 कारतुस बरामद किए गए।जिसके आधार पर शस्त्र अधिनियम की खंड 27/54/59 जोड़ी गई थी। जाँच के दौरान, उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने जाँच अधिकारी का सहयोग नहीं किया।

इस प्रकार, उन्होंने अनुशासित बल के सदस्य होने के नाते लापरवाही और अनुशासनहीनता की और गैरकानूनी/भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त एक आपराधिक मामला किया और जनता की नजर में पुलिस विभाग की छवि को कम किया।उन्होंने सार्वजनिक रूप से भंग किया जो अत्यधिक निंदनीय और दंडनीय है।

दलबीर सिंह, एच. पी. एस

जाँच अधिकारी,

पुलिस उपाधीक्षक,

हांसी।"

(14) इसमें शायद ही कोई संदेह हो कि आरोप पत्र और आपराधिक आरोप में एक ही घटना शामिल है और आरोप एक ही समान हैं।इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा निचली अदालत में पेश किए गए गवाह घरेलू जांच में समान थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर पानीपत के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 6 नवंबर, 2012 के अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को बरी करते हुए बहुत विस्तार से विचार किया है।

(15) यह आम आधार है कि 6 नवंबर, 2012 को याचिकाकर्ताओं को बरी किए जाने से कुछ समय पहले 18 सितंबर, 2012 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे। विभागीय जाँच में निचली अदालत का फैसला प्रस्तुत किया गया था।अंतिम जांच रिपोर्ट 21 जनवरी, 2013 को आई जिसमें याचिकाकर्ताओं को कदाचार का दोषी ठहराया गया।

मेने जाँच रिपोर्ट लेकर और इसकी तुलना निचली अदालत के फैसले से की है।विभागीय जांच में कुल 22 अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई और वे सभी पहले ही निचली अदालत के समक्ष गवाही दे चुके थे।यह श्री कौशल का मामला है कि आपराधिक मुकदमे में शपथ लेने वाले गवाहों की अभिलिखित गवाही की उपस्थिति में, जांच अधिकारी न्यायिक दिमाग द्वारा किए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और जब उन्हीं गवाहों की अभिलिखित गवाही से कुछ भी नहीं जोड़ा या घटाया जाता है, तो जांच अधिकारी को पहले से दर्ज किए गए बयानों को अधिलेखित करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

(16) इस तर्क के समर्थन में श्री कौशल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अविनाश सदाशिव भोसले (डी) एलआर के माध्यम से बनाम भारत संघ और अन्य 1 पर निर्भर हैं

आपराधिक मुकदमे के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है। हालाँकि, सामान्य नियम में एक अपवाद है जहाँ दोनों कार्यवाहियाँ तथ्यों के एक ही समूह पर आधारित हैं और दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य समान हैं।

(17) भोसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश पर भरोसा किया

जी. एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2 बाद वाला एक मामला था

जहाँ घरेलू और आपराधिक मोर्चे पर समानांतर कार्यवाही चल रही थी।आपराधिक मुकदमे के परिणामस्वरूप दोषमुक्ति दिया गया।बर्खास्तगी विभागीय जांच का परिणाम थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तथ्यों, आरोपों, साक्ष्य और गवाहों के एक ही समूह के आधार पर आपराधिक कार्यवाही में विभागीय जांच के मामले में और जहां कर्मचारी को बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान आपराधिक मुकदमे में सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है, तो विभागीय कार्यवाही में इसके विपरीत निष्कर्ष निचली अदालत द्वारा समाप्त किए गए निष्कर्षों की तुलना में अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होंगे।बर्खास्तगी का आदेश स्थायी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक तर्क उठाया गया और पैरा में ध्यान दिया गया।13 निर्णय कि विशेष मामले में अपीलकर्ता जी. एम. टैंक को दोषमुक्ति एक प्रासंगिक कारक है, क्योंकि अपीलकर्ता को गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्ति दिया गया है और दोषमुक्तिना स्पष्ट है और संदेह के लाभ या किसी तकनीकी प्रस्ताव पर आधारित नहीं है।विभागीय जांच में भी यही सबूत पेश किया गया था और इसलिए बर्खास्तगी का आदेश कानून के हिसाब से

गलत है।सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस मुद्दे पर विचार किया और आपराधिक अदालत में बनाए गए आरोप और अनुशासनात्मक कार्यवाही में जारी आरोप पत्र को पढ़ने के बाद पाया कि वे मेल खाते हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों आरोप एक ही समूह पर आधारित थे।

---

1 (2012) 13 एस. सी. सी. 142

2 (2006) 5 एस. सी. सी. 446



अभियुक्त (जी. एम. टैंक) की आय के ज्ञात स्रोत से संबंधित तथ्य और साक्ष्य और यह धारणा कि उक्त राशि उसके द्वारा अवैध और भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई थी।रिपोर्ट के पैरा 30 में मुद्दे का उत्तर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

"इस मामले में, विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित होते हैं और अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय मामले में आरोप और आपराधिक अदालत के समक्ष आरोप एक ही होते हैं।यह सच है कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है।पूछताछ और जांच के दौरान उसके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू किए गए मामले की प्रकृति और जैसा कि आरोप-पत्र में परिलक्षित होता है, उल्लिखित कारक एक ही हैं।दूसरे शब्दों में, आरोप, साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियाँ एक ही हैं। वर्तमान मामले में, आपराधिक और विभागीय कार्यवाहियों ने पहले ही तथ्यों के एक ही समूह पर ध्यान दिया है या मंजूरी दे दी है, अर्थात्, अपीलार्थी के आवास पर की गई छापेमारी, उससे वस्तुओं की बरामदगी।"

(18)अभी और आगे, श्री कौशल कल न्यायाधीश पीठ के निर्णय पर निर्भर हैं।

खुर्शीद अहमद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीश ने (2009 का सी. डब्ल्यू. पी. No.1689) में 16 जुलाई, 2009 को निर्णय लिया, जहां फिर से स्पष्ट रूप से सवाल उठाया गया कि आपराधिक कार्यवाही में एक कर्मचारी के बरी होने का क्या परिणाम होगा, जिसे अनुशासनात्मक जांच में एक निष्कर्ष के आधार पर आरोप पत्र और खारिज किए जाने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उन्हीं आरोपों के आधार पर सेवा से दोषमुक्ति दिया जाता है।याचिकाकर्ता, हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (xi) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 354,376 (2) (जी) के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया

था। प्राथमिकी  अभियोजक द्वारा दर्ज की गई थी जिसने याचिकाकर्ता पर उन सात लोगों में से एक होने का आरोप लगाया था जिन्होंने उसकी इच्छा के खिलाफ तीन साल तक उसके साथ बलात्कार किया था।याचिकाकर्ता को मुकदमे में बरी कर दिया गया और फिर उसी आरोप पर विभागीय रूप से विचार करने के लिए आरोप-पत्र जारी किया गया।उस मामले में, याचिकाकर्ता को तब बरी कर दिया गया था जब अभियोजक अन्य अभियोजन गवाहों सहित मुकर गया था।

(19) पीठ के समक्ष सवाल यह था कि क्या मामला नियम 16.3 पीपीआर के उप-नियम (1) (डी) के अपवाद में आता है, जहां गवाहों को जीत लिया गया है या क्या मामला नियम 16.3 के सामान्य संरक्षण में आता है, जिसमें यह प्रावधान है कि जब किसी पुलिस अधिकारी पर आपराधिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है, तो उसे विभागीय रूप से दंडित नहीं किया जाएगा।



एक ही आरोप पर या आपराधिक मामले में उद्धृत साक्ष्य पर एक अलग आरोप पर, चाहे वास्तव में नेतृत्व किया गया हो या नहीं, जब तक कि मामला (ए) से (ई) के अपवादों में से किसी एक में नहीं आता है।राज्य ने अपने पक्ष में अपवाद का हवाला दिया।याचिकाकर्ता ने अन्यथा जोर दिया।इस न्यायालय ने में कानून पर विचार किया। कैप्टन एम.पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और अन्य 3, प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और दूसरा बनाम पी काटा राव

4, जी. एम. टैंक (सुप्रा), सुखजीत सिंह खैरा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य 5 और बलवंत सिंह पूर्व कांस्टेबल, बनाम पुलिस महानिरीक्षक और अन्य 6 ने नियम 16.3 की व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित किया कि खुर्शीद अहमद के खिलाफ पारित दोषमुक्ति का आदेश ऐसा था कि याचिका के बावजूद भी मामला अपवाद को आकर्षित करता है कि आपराधिक मुकदमे में याचिकाकर्ता को बरी करना इस तथ्य  का कारण था कि गवाहों को जीत लिया गया था।अभियोजक ने जाँच अधिकारी के सामने पेश होते समय अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी ठहराया गया।न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बर्खास्तगी का विवादित आदेश किसी सामग्री या साक्ष्य पर आधारित नहीं था।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामला बिना सबूत की श्रेणी में आता है और इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत थे और बिना सबूत के आधारित थे।बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया।

(20) यह ध्यान दिया जा सकता है कि जी. एम. टैंक मामले में विभागीय कार्यवाही में दर्ज किए गए निष्कर्षों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों के बाद आपराधिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में, आपराधिक न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को बरी करने के लिए दर्ज किए गए निष्कर्ष विभागीय कार्यवाही के समापन और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और निष्कर्षों को वापस करने से पहले थे।वर्तमान मामले में, आरोप-पत्र लंबे आपराधिक मामले के समापन से कुछ समय पहले जारी किया गया था और एकमात्र कारण जिसके बारे में मैं आरोप-पत्र जारी करने के बारे में सोच सकता हूं जब मुकदमा पूरा हो चुका था और निर्णय की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा था, वह यह है कि प्रतिवादी पुलिस विभाग को पता होना चाहिए कि मुकदमा विफल होने वाला था और याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर रखने का एकमात्र तरीका उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही में उलझाना था जो मेरे विचार में उचित नहीं था और स्पष्ट रूप से हरियाणा में अपने आवेदन में नियम 16.3 पीपीआर, 1934 में दिए गए जनादेश के विपरीत था।

---

3 ए. आई. आर 1999 एस. सी 1416

4 ए. आई. आर 2008 एस. सी. 2146

5 2005 (1) एससीटी 50 (डीबी)

6 1983 (1) एस. एल. जे. 176



(21) नियम 16.3 (1) दोषमुक्ति होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान करता है।वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला नियम 16.3 (1) (ए) से लेकर (ई) तक बनाए गए किसी भी अपवाद में नहीं आता है क्योंकि दोषमुक्ति बिना संदेह का लाभ दिए सम्मानजनक था।विद्वत विधि अधिकारी लिखित बयान में या मामले के कानून से लिए गए किसी भी आधार पर मुझे राजी करने में समर्थ नहीं हुए हैं जो कुछ भी चौंकाने वाला है जो निश्चित रूप से मामले को राज्य के पक्ष में और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ झुका सकता है।दूसरी ओर, श्री कौशल की दलीलों में पर्याप्त योग्यता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को जांच का आदेश देने और उसी आरोप पर सजा देने से रोक दिया गया था, जिस पर याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था।वर्तमान मामले में, दंडक प्राधिकरण यह देखने में गंभीर त्रुटि में पड़ गया कि अपवादों में मामले को लाने के लिए अभियोजन पक्ष को जीत लिया गया था।जाँच अधिकारी, अनुशासनात्मक

प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की रिपोर्ट में शामिल वास्तविक मुद्दों पर खुद को संबोधित करने में घोर विफलता रही है और याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश देने में अनुचित औचित्य देने के लिए आसानी से गुमराह किया गया है।इसके अलावा, सह-अभियुक्तों में से एक, अशोक कुमार श्योराण एच. पी. एस. को 6 जुलाई, 2016 को सेवा में बहाल कर दिया गया है।उच्च और शक्तिशाली लोगों को प्रशासन द्वारा सेवा में बहाली प्राप्त करने का पक्ष मिला है, जबकि अधीनस्थ न्यायाधीश के लिए अदालत के समक्ष हैं।जो कभी बहुत गंभीर आरोप था, वह दोषी नहीं होने के फैसले में बदल गया है। पुलिस आपराधिक मुकदमे में जो हासिल नहीं कर सकी, उसे उसी साक्ष्य, उसी घटना और आरोप पर घरेलू जांच में हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(22) उसी तरह, श्री कौशल ने निर्णय पर भरोसा किया है एकल पीठ में अपने पंजाब राज्य अपने कलेक्टर और अन्य के माध्यम से बनाम पूर्व कांस्टेबल गुलजार सिंह ने 2010 के आर. एस. ए. No.2394 में 1 फरवरी, 2012 के फैसले और आदेश के माध्यम से प्रस्तुत किया।मैं उनसे सहमत हूं कि निर्णय याचिकाकर्ताओं को सफल होने में मदद करता है क्योंकि मामला कानून ऊपर देखा गया है और उस पर भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त करके गलत किया गया है।वे अपराध के लिए निर्दोष हैं और इसलिए तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही परिस्थति पर कदाचार के दोषी नहीं हैं।उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2013 के आदेश में गलत तरीके से दर्ज निरीक्षण द्वारा राज्य द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के खिलाफ अपील में निर्णय देते समय कहा कि याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा संदेह का लाभ दिया गया था।बरी किया जाना गुण-दोष पर आधारित था, दोषमुक्ति पक्ष का गवाह अपने आधार पर दृढ़ रहा।संभावनाओं की प्रधानता को संतुलित करने पर भी, विवादित आदेश टिकाऊ नहीं हैं।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना न्याय का उपहास होगा।



इसका मतलब यह होगा कि दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है।एक न्यायिक फैसला, वास्तव में पुलिस के हाथों में रखे गए कीबोर्ड पर सी. टी. आर. एल. ऑल्ट डेल को पीड़ित करता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके बजाय, अभियोजकों को दंडित किया जाना चाहिए।जब पुलिस, पुलिस के सामने विफल रहती है और डकैती के आरोप को लापरवाही के रूप में गंभीर रूप से लाने में विफल रहती है, तो समाज की अंतरात्मा का एक हिस्सा मर जाता है।न्यायालय को कानून के साथ संघर्ष करना पड़ता है न कि संदेह के साथ, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो।कानून याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है।

(23) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप और ऊपर दर्ज कारणों से रिट याचिका की अनुमति दी जाती है क्योंकि इसमें पर्याप्त योग्यता पाई जाती है।याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त करने वाले विवादित आदेशों को अवैध और मनमाना माना जाता है और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना जाता है और इसलिए, उन्हें दरकिनार करते हुए सरशियोरेराई एक रिट जारी की जाती है।परिणामस्वरूप, सेवा से बर्खास्तगी के दंड की पुष्टि करने वाले अपीलीय आदेशों को भी वही नुकसान होगा और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सरिता गुप्ता